कार्यालय नगर निगम, भागलपुर

BHAGALPUR

स्वामी विवेकानन्द पथ
कचहरी कैम्पस
भागलपुर

logon to- bhagalpurnagarnigam.in, e-mail- nagarnigambhagalpur@gmail.com, contact- 0641-2302035

भागलपुर नगर निगम

Approval No ----672----/BMC/MAP20-21

फार्म–VIII-ख

भूमि विकास अनुज्ञा के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या–68(3)

आप के आवेदन संख्या– **955** तिथि–**01.02.2021** के संदर्भ में **Bihar Agents Limited Director Sri Sukhdeo Prasad Sah, S/O- Late Prameshwaer Sah, Bhagalpur** के लिए

(क) भूमि विकास की अभिन्यास (ले–आउट) योजना के लिए

(ख) भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने के लिए

भागलपुर नगर निगम, भागलपुर क्षेत्रान्तर्गत बिहार नगरपालिका 2007 की धारा–314 और बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–81(2) (ब) के अंतर्गत प्लॉट नं0 (सी0एस0) **556 KA 556 KHA** प्लॉट नं0 (एम0एस0पी0) **556 KA 556 KHA** खाता नं0 **249**, होल्डिंग नं0– **40** पता– **Aanand Chikitsalay Road**, मोहल्ला:– **Kotwali** वार्ड नं0:–**38** के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती हैं:–

(क) भूमि का उपयोग अनन्य रूप से **(B+G+4) Commercial** प्रायोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 414.36 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **12.02** .मीटर चौड़ाई के पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकरों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छदित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में..... मीटर चौड़ी पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीनों वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति उस भूखंड, जिसके योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार/हिक/हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बात होई विवाद होने पर, विवाद की अवधि के दैरान योजना स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) कोई अन्य शर्त्त।

10/3/21
Dy. Municipal Commissioner
Bhagalpur Municipal Corporation
Bhagalpur
उप नगर आयुक्त
नगर निगम भागलपुर

ज्ञापांक सं0–672/भा0न0नि0 दिनांक 10-3-/2021

प्रतिलिपिः– अनुमोदित योजनाओं की 2 (दो) प्रतियों के साथ **Bihar Agents Limited Director Sri Sukhdeo Prasad Sah, S/O- Late Prameshwaer Sah, Bhagalpur** के लिए सूचनार्थ अग्रसारित।

दो वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाता है।

पत्रांक 325 | दिनांक 27/1/24

27/1/24
Dy. Municipal Commissioner
Bhagalpur Municipal Corporation

10/3/21
Dy. Municipal Commissioner
Bhagalpur Municipal Corporation
Bhagalpur
उप नगर आयुक्त
नगर निगम भागलपुर